SHRI M. M. JACOB: I want Mr. Balaram also to speak.

SHRI N. E. BALARAM: we are not able to complete the debate. Let us start the Short Duration Discussion. We cannot deviate from the Agenda.

SHRI A. G. KULKARNI: Short Duration Discussion is listed and it must start immediately. There is no other way. You please call the Prime Minister. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I have heard everybody. Taking into view the general consensus or at least the overwhelming view, let us take up the Short Duration Discussion and the Home Minister will reply tomorrow on the discussion on Home Ministry. In the meantime, let other Members also speak. Particularly one or two Parties have not spoken at all. So, that can continue later. Now, let us take up the Short Duration Discussion first. It is an important issue.

Now, Shrimati Sarala Maheshwari. You are speaking on Short Duration *Discussion and not on the Home Ministry.* (*Interruptions*) I request the hon. Member to co-operate because you all wanted this important discussion.

---

SHORT DURATION DISCUSSION

**Continued atrocities on persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various parts of the country**—Contd.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। हरिजनों और उपेक्षित जातियों पर जुल्म और अत्याचार का सिलसिला आज आजादी के 43 वर्षों के बाद भी जो चल रहा है, उस ओर मैं माननीय सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सत्र की शुरूआत हुई थी, उसी समय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में फ़तेहपुर की घटना को लेकर एक जोरदार हंगामा इसी सदन में हुआ था। उससे ठीक एक दिन पहले, 29 अप्रैल, 1990 के 'नवभारत टाइम्स' में एक खबर छपी थी; जिसमें बताया गया था कि फ़दली सिंह नाम के एक बंधुआ मजदूर के हाथ उस समय काट दिए गए, जब उसने काम करने से इंकार कर दिया। महोदय, यह घटना मध्यप्रदेश के मंडसेन जिले के बूरा गांव की है। फ़तेहपुर की घटना पर हंगामा करने वाले माननीय सदस्यों को शायद यह मंडसेन जिले की घटना याद नहीं आई। जो भी हो दुष्यंत के शब्दों में कहना चाहूंगी कि सिर्फ़ "हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि यह सूरत बदलनी चाहिए।" इसलिए मामला चाहे फ़तेहपुर का हो चाहे मंडसेन का हो, हमें समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से हमारी चिंताओं का विषय है।

माननीय महोदय, जहां तक हरिजनों पर अत्याचार का सवाल है, 29 दिसंबर को इसी माननीय सदन में श्रम और कल्याण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कुछ तथ्य हमारे सामने दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्ष 1987 के दौरान हुए ऐसे जुल्मों की, घटनाओं की संख्या 13,529 थी, जो वर्ष 1988 में बढ़कर 15,207 हो गई। वर्ष 1989 के पूरे आंकड़े माननीय मंत्री के पास उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि सामाजिक परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, जिनसे हम यह सोच सकें कि शायद आने वाले वर्ष में इन घटनाओं में कोई कमी हुई होगी। इसके पहले वर्ष 1981-86 के बीच अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हुए जुल्मों की घटनाओं की संख्या 91 907 थी जिनमें 3139 घटनाओं में हत्याएं हुई 8,501 में गंभीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाई गई 3 991 घटनाएं बलात्कार से संबंधित थीं 6278 आगजनी की थीं और 69,181 घटनाएं अन्य प्रकार के जुल्मों की थीं।.... हर कोई जानता है कि यह घटनाएं तथा जितनी अखबारों में आती हैं.

वे वास्तविक का सिर्फ ऊपरी रूप ही होती हैं और असंख्य घटानएं होती हैं जो अखबारों में अपका स्थान दर्ज ही नहीं करा पातीं। सवाल यह है कि आखिर आजादी के 42 वर्षों बाद भी हरिजनों उपेक्षित पीड़ित और पिछड़ी जातियों पर अत्याचार और जुल्मों का यह सिलसिला क्यों कायम है?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, समस्या कोई ताजी नहीं है समस्या बहुत पुरानी है। आजादी के आन्दोलन के दिनों में ही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने इस समस्या को पहचाना था और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने हमेशा इस बात की कोशिश की थी कि हरिजनों को हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। फिर आजादी हासिल करने के बाद बहुत से कानूनी कदम उठाए गए और सबसे आखिरी कानूनी कदम सन् 1989 में ऐण्टी एट्रोसिटी लेजिस्लेशन ऐक्ट बनाया गया जिसका पूरे सदन ने समर्थन किया था और इस कानून में भविष्य में काफी कड़े कदम उठाने के प्रावधान रखे गए थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, गालिब के शब्दों में—"मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।" तो मर्ज बढ़ता ही गया, हमने जितना भी उसको सुधारने की कोशिश की। सवाल यह है कि आखिर इसकी जड़ कहां है? इस रोग की मूल जड़ों को अगर हम तलाशने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में भी हमारे नेताओं की सद्इच्छाएं काफी रहीं, लेकिन तमाम सद्इच्छाओं के बावजूद मुझे दांते की एक पंक्ति याद आती है, जो कार्ल मार्क्स को भी बहुत प्रिय थी कि "नरक का रास्ता नेक इरादों से पटा होता है" तो आपके इरादे भले ही कितने नेक क्यों न रहे हों हमारे राष्ट्रीय नेताओं के इरादे भी बहुत नेक थे लेकिन उनके नेक इरादे वास्तव में कार्यों की सही परिणति तक उन्हें नहीं ले गए। समस्या के वास्तविक रूप को वे समझ नहीं पाए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो चरित्र था, जिस वर्ग से वे आते थे, उनके वर्गीय स्वार्थों का बंधन उन्हें इस समस्या की मूल जड़ तक पहुंचने से रोकता था।

1981 की जनगणना में यह बतलाया गया था कि हमारी आबादी का 21 प्रतिशत हिस्सा हरिजनों का है और उसमें भी 73 प्रतिशत हिस्सा खेतिहर मजदूरों का है। तो जाहिर है कि अनुसूचित जातियों का 73 प्रतिशत हिस्सा खेती के संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो मूल समस्या हमारे देश के भूमि संबंधों में है और इसलिए इन भूमि संबंधों को अगर हम नहीं समझेंगे तो इस समस्या को हम सही रूप में समझ नहीं पाएंगे। इतिहास ने हमें बता दिया है कि मामूली हृदय परिवर्तन की कोशिशें समाज सुधार की कोशिशें हमें इसकी जड़ तक नहीं पहुंचने दे सकतीं। कांग्रेस का जो सामन्ती चरित्र रहा है, कांग्रेस के नेताओं के सामन्ती, वर्गीय चरित्र ने उन्हें इस समस्या की जड़ों तक नहीं पहुंचने दिया और यही कारण है कि बाद में भी जमींदारी उन्मूलन कानून मात्र एक ढकोसला बनकर रह गया। इसलिए मैं इस सदन का इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वास्तव में इस प्रकार की घटनाओं के मूल में जो मुख्य काम है वह यह कि हम पूरी ईमानदारी के साथ भूमि सुधार को लागू करें। वास्तविक भूमि सुधार ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्ती और अर्धसामन्ती शक्तियों के विषदंतों को कुचल सकता है और गरीब मेहनतकश अवाम के पक्ष में भूमि सुधारों को लागू कर सकता है।

महोदय, यह तो सिक्के का एक पहलू था। सिक्के के दूसरे पहलू की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और मैं बतलाना चाहूंगी कि हमारे इसी भारतवर्ष में एक राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है जो मेहनतकशों की सरकार है और उस सरकार ने अपने कार्यों के द्वारा यह साबित कर दिया है कि किस तरह अगर भूमि संबंधों को बदला जाए, भूमि संबंधों को अगर मेहनतकशों के पक्ष में किया जाए तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों के मामले में पश्चिम बंगाल हिन्दुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद जहां तक हरिजनों पर अत्याचारों का सवाल है, शायद सरकार के पास भी कोई तथ्य नहीं है कि वहां पर हरिजनों अत्याचार की कोई विशेष घटनाएं घटी हों। मेरे पास दो तथ्य हैं कि 1987 में वहां पर 8 घटनाएं घटीं और 1989 में वहां सिर्फ 9 घटनाएं घटीं, जबकि पूरे भारतवर्ष में, आप उत्तर प्रदेश में देखिए,

इस दौरान उत्तर प्रदेश में क्रमश: 4340 तथा 4755 घटनाएं घटीं। मध्य प्रदेश में 2899 तथा 3764 घटनाएं घटीं। बिहार में इन दो वर्षों में 1271 और 1297 घटनाएं घटीं। इसी प्रकार राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात आदि भी पीछे नहीं हैं।

तो सवाल यह है, जैसा मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में आज हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं नहीं घटतीं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ईमानदारी के साथ खेतिहर मजदूरों के पक्ष में वहां के भूमि संबंधों को बदला है और इसलिए महोदय, मैं आपसे यह अपील करना चाहूंगी कि अगर वास्तव में ईमानदारी के साथ हम भारतवर्ष में हरिजनों पर होने वाले इन अत्याचारों को खत्म करना चाहते हैं तो ईमानदारी से भूमि सुधार को लागू करना होगा। जैसा कि विवेकानन्द ने कहा था, उनके उद्धरण से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी :-

"भारत के अभिजात वर्ग के लोगों, क्या तुम सोचते हो तुम जीवित हो? तुम दस हजार वर्ष पुराने शव की तरह हो। आज भारत में जो भी थोड़ी सी जीवनी शक्ति शेष है वह उन लोगों में जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने चलते-फिरते, सड़-गले मांसधारियों के रूप में घृणा का पात्र समझा। लेकिन असल में चलते फिरते मुर्दे तुम स्वयं हो। तुम्हारे मकान, असबाब, सज्जा, सामग्री अजायबघर की वस्तुएं से लगते हैं--वे इतने निर्जीव और पुराने हैं--तुम भूतकाल के प्रतिनिधि हो। भारत के भूतकाल के शव के मांस-हीन, रक्तहीन, कंकाल के रूप में तुम हो...

इस नए भारत का उदय हो हल को थामे किसान की कुटी से। मछुओं, मोचियों, मेहतर, भंगियों की झोंपड़ियों से, फल बेचने वालों की कुटी से। नए भारत का उदय हो कारखानों, बाजारों और हाटों से। इन आम लोगों ने हजारों वर्षों से बिना उफ किए बड़े दुख सहे जिससे उन्होंने जीवनी शक्ति पाई है। एक मुट्ठी चना खाकर इनमें इतनी स्फूर्ति है कि जो सारे विश्व में भी नहीं समा पाती भूतकाल के अस्थिपंजर, तुम शून्य में समाकर अदृश्य हो जाओ। तुम्हारे विलुप्त होते ही पुनर्जाग्रत भारत के उद्घाटन का घोष तुम सुनोगे जो कई लाख बिजलियों के गर्जन के सदृश्य समस्त सृष्टि में गूंज उठेगा"।

तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि वास्तव में भारत के मेहनतकश अवाम के पक्ष में, भारत के हरिजनों और उत्पीड़ित जातियों पर हो रहे अत्याचारों को यदि हमें रोकना है तो समस्या की मूल जड़ तक हमें पहुंचना होगा। पत्तों को देखकर पेड़ का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा निवेदन है कि आज तक जिस मूल तक पहुंचने की कोशिश से हमारा शासक वर्ग कतराता रहा, मैं आशा करती हूं कि नई सरकार इस मूल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और नए भारत के निर्माण में उत्पीड़ित जातियों और उपेक्षित जातियों को समान अधिकार दे सकेगी ताकि वे सम्मान के साथ और इज्जत के साथ एक नागरिक की हैसियत से इस समाज में जी सकें और भारतवर्ष के जनतंत्र को एक सही अर्थ प्रदान कर सकें।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मुद्दा है जिसके लिए पिछले पूरे सप्ताह हमें संघर्ष करना पड़ा और चिल्ला-चिल्लाकर हरिजनों की और दलित लोगों की बात पार्लियामेंट के लोगों को सुनानी पड़ी और खास करके बहरी सरकार को सुनानी पड़ी। इस बहरी सरकार ने आश्वासन तो दिया इस सदन में कि हम इस हाउस में फतेहपुर की घटना को लेकर स्टेटमेंट देंगे लेकिन आज तक वह स्टेटमेंट लेकर नहीं आए और इसी बीच कालिंग अटेंशन की हमारी यह मांग पूरी हुई और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

मेरी पूर्व वक्ता, हमारी साथी सरला माहेश्वरी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरों के हाथ काट देने की बात हम उस वक्त भूल गए जिस वक्त हम प्रधानमंत्री पर दबाव डाल रहे थे फतेहपुर की घटना के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी।

हो सकता है कि बंधुआ मजदूरों की वह खबर मेरी आंखों से छिप गई हो, मैंने न देखी हो। अगर देखी होती तो जितनी जोरदार आवाज में और जितनी वजनदार आवाज में मैंने धनराज की हत्या की बात कही थी। उसी दमदार आवाज में मैं बंधुआ मजदूर के हाथ काटने को भी कंडम करता और उसके स्टेटमेंट की मांग करता। पर मुझे अफसोस है कि कार्लमार्क्स, विवेकानंद और दुष्यंत को कोट करते हुये बहुत कुछ कहा, पर कम से कम वह बंगाल में The Association for Protection of Democratic Rights (APDR) की रिपोर्ट को भी कोट कर देती कि पिछले 13 साल के बंगाल के मार्क्सवादी सरकार ने कितने लोगों पर अत्याचार किये हैं? उन्होंने बहुत बड़े-बड़े उदाहरण सुनाये और कहा कि इसके लिये जिम्मेदार कांग्रेस के नेतागण है। महोदय, मैं आपके माध्यम से, अब वे हैं नहीं बाहर चली गयी हैं नहीं तो मैं बतलाना चाहता हूं कि कम से कम उनको इसको भी इस सदन के सदस्यों को बताने की जरूरत थी, जो कि उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट पेश की है। 55 custodial deaths in Bengal. APDR Report क्लीयरली कहा है कि custodial deaths in West Bengal from 1977 to 1989. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): No interruptions. We did not interrupt you.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What is this? Out of 95, 35 people were ST. Do you know that? Can you challenge my statement? (*Interruptions*) Then you challenge this report in the Assembly. Tell your people to challenge this report in the Assembly.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Ahluwalia, please continue. No interpersonal remarks, please.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Custodial deaths in West Bengal from 1977 to 1989. The APDR report says that apart from the 95 deaths that had occurred in police lock-up during nearly 13 years of the left Front rule, deaths took place in jail custody also... अगर सच्चाई की बात कहनी होती सच कड़वा होता है जैसा कड़वा उन्हें लग रहा है।

महोदय, इन चीजों को उद्घोषित करने के लिये एक बड़ा जिगर चाहिये और वह बड़ा जिगर चाहने के लिये आदमी को पहले भरोसा चाहिये अपनी मारेलिटी पर, अपने विवेक पर कि विवेक खड़ा होकर तराजू पर पूरा तोले और बताये कि यह अन्याय है और यह न्याय है। किसी को भी अन्याय कहने के पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिये।

महोदय, हमने जो बात कही थी और आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि फतेहपुर के संसदीय क्षेत्र जहां 5 अप्रैल को यह घटना घटी, जिस घटना का विश्लेषण मैं इस सदन में कर चुका हूं। उस घटना के बाद प्रधान मंत्री महोदय अपने बयान में कहते हैं। अपने बयान में एक लाईन पहले कहते हैं कि मुझे जिस वक्त घटना का पता चला उसी वक्त मैंने वहां के जिलाधिकारी को आदेश दिया इंक्वायरी करने के लिये और उसके बाद की लाईन में कहते हैं कि मैंने अपने पर्सनल स्टाफ को कहा। महोदय, कहते हैं कि As soon as the information came to me, I ordered immediate action through the District Magistrate that very day और उसके बाद फिर कहते है कि As soon as this information came, I asked my personal staff to tell the authorities to take immediate action against those who had committed any atrocities against the Harijans.

दुर्भाग्य इस बात का है कि यह चर्चा हम उसी दिन करना चाहते थे और अध्यक्ष महोदय ने क्वैश्चन हॉवर सस्पेंड कर दिया इस बात की चर्चा करने के लिये। किन्तु इस सरकार के द्वारा चलाया गया विश्वनाथ दर्शन जिसका दूसरा नाम दूरदर्शन है उसके माध्यम से कुप्रचार किया गया और पूरी प्रोसीडिंग जो हाउस की कहती है उसमें पहला सदस्य जिसने विरोध किया था चेयरमैन के क्वैश्चन हॉवर के सस्पेंशन पर, वह थे हमारे दिपेन घोष। दिपेन घोष जी ने कहा कि Sir, have you suspended the Question Hour?

उसके बाद हमारे सदस्य गुरुदास

दास गुप्ता जो कहते हैं कि At least, don't skip the Question Hour. चतुरानन्द मिश्र जी कहते हैं, It is a matter of procedure. You are skipping the Question Hour. There is some of government there.

उसके बाद हमारे सदस्य श्री एस०जी० कुलकर्णी जो बात कहते हैं वह लफ्जों में लिखी हुई है प्रोसीडिंग में। उसके बावजूद उसको घुमा-फिरा कर दूरदर्शन ने कैसे पेश की है मैं बताना चाहता हूं। कुलकर्णी जी कहते हैं :

> "When there is a procedure, you must go according to the procedure. You cannot say that this will do or that will do, where there is a procedure. If you are suspending the Question Hour, I have no objection, but if the Prime Minister is going to reply, it must be in the form of a statement so that we can ask questions for clarifications."

दुर्भाग्य इस बात का है इसी न्यूज को बुरी तरह तोड़-मरोड़ कर दूरदर्शन के माध्यम से इस मुल्क की 83 करोड़ जनता के सामने पेश किया गया। दूरदर्शन के समाचार पत्र की प्रतिलिपि है :

> "कांग्रेस (आई) के एस०एस० अहलुवालिया ने आज प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में हरिजनों पर हुए कथित अत्याचार का मामला उठाया। सदस्यों के शोरगुल के बीच प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में कहीं भी हरिजनों और अनुसूचित जातियों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने खुद जिलाधीश को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।"

यह झूठ है। उन्होंने ही दो स्टेटमेंट इस हाऊस को दी।

**श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी** (महाराष्ट्र) : स्टेटमेंट पर क्या बोले विश्वनाथ प्रताप सिंह वह बात नहीं आयी।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :** भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री गुरुदास दासगुप्ता ने प्रश्नोत्तर काल इस तरह का मामला उठाने पर एतराज किया। कांग्रेस (आई) के श्री एस०जी० कुलकर्णी ने प्रक्रिया संबंधी सवाल उठाया। इस पर सरकार से वक्तव्य की मांग की। उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया। सभापति डा० शंकर दयाल शर्मा ने जब इस बात पर वोट कराने को कहा तो कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने अपनी मांग वापस ले ली और सब प्रश्नोत्तर काल शुरू करने में सहमत हो गये। किस तरह से इस सदन की गरिमा को नीचा दिखाया गया इस विश्वनाथ दर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और 83 करोड़ जनता को किस तरह से उल्लू बनाने की कोशिश की गयी यह आप जानते हैं। यह बताने की कोशिश की गयी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उस सवाल का जवाब उस वक्त देना चाहते थे पर कांग्रेस (आई) के सदस्य वह जवाब सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सच्चाई मालूम थी।

**श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : यह संसद समीक्षा की बात कर रहे हैं या न्यूज की बात कर रहे हैं?

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :** न्यूज की बात कर रहा हूं। बड़े दुख की बात है कि हम बड़े-बड़े भाषण तो दे लेते हैं, मगरमच्छ के आंसू तो बहा लेते हैं मगर जिस वक्त यहां सेन्ट्रल हाल में बाबा अम्बेडकर की फोटो का विमोचन कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि गरीब की आंखों का आंसू कुछ दिन तक तो पानी रहता है और उसके बाद तेजाब हो जाता है। मेरे ख्याल से इन लफ्जों में कार्ल मार्क्स ने कभी ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं की होगी, मेरे ख्याल से माओ-त्से-तुंग ने, स्तालिन ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही होगी। मेरे ख्याल से महात्मा गांधी ने भी ऐसी बात नहीं कही होगी जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कही। वह अपने गिरेबान में झांक कर फतेहपुर के अपने संसदीय क्षेत्र में देखें कि वहां क्या हुआ। 5 अप्रैल को जो शर्मनाक घटना हुई, एक महीने तक पूरा प्रेशर देने के बाद कल वहां मुलायम सिंह यादव को फुर्सत

मिला और उस इलाके का दौरा किया। जब हमने यह मांग उठायी कि चार बीघा जमीन दी गयी है और उस में भी दो बीघा जमीन बंजर है और दो बीघा पोखर के अंदर है और जो 10 हजार रुपये दिये गये है वे भी बांट लिये गये हैं तो जाकर कल प्रधान मंत्री कोश से पांच एकड़ जमीन उसके नाम लिखी गयी। शर्म तो तब आती है जब इस सब के बावजूद हमारे राज्य सभा के नेता श्री गुरुपदस्वामी के ऐश्योरेंश देने के बाद कल वहां मुख्य मंत्री का दौरा होता है और उसके बावजूद भी वह स्टेटमेंट नहीं आती। यह मैसेज कोई गलत और सही बात का नहीं है। यह मैसेज फतेहपुर के लोगों के लिए है जो बड़े गर्व से कहते हैं कि अब इतने सालों के बाद पृथ्वीराज चौहान का राज आया है जिस पृथ्वीराज चौहान ने जबर्दस्ती संयुक्ता को उठा लिया था, उसी तरह से इनको जो भी पसंद आएगा, इनकी नजर के सामने आएगा, उसको उठा लेंगे। आज पृथ्वीराज चौहान के राज के बारे में यह मैसेज पुलिस अफसरों को जाता है और ये घटनायें प्रधान मंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रही हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ़ से और न ही केन्द्र सरकार की तरफ़ से, वहां कोई अफ़सर जाता है और न ही कोई मंत्री जाता है। इससे उनको बढ़ावा मिलता है, उनको हिम्मत मिलती है। वहां के एस० एच० ओ० ने कहा कि वे धनराज की जलती देह को उठाकर होस्पिटल ले गया, लेकिन यह सफ़ेद असत्य है। अगर वह ले गया था तो उसको उसने बहुत देर तक रोके क्यों रखा। जब अंधेरा हो गया, चमारों की टोली जमा हो गई, लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो दबाव में आकर उसको कहा कि ले जाओ। डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी। । धनराज दूसरे दिन सवेरे मर गया। पुलिस एफ़० आई० आर० का नम्बर नहीं देती और न ही डेट देती है कहते हैं कि 307 और 302 में इंडियन पीनल कोड में मामला दर्ज किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिया गया? धनराज जब जिन्दा था तो उसका डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिया गया, किसी कागज पर उसका अंगूठा क्यों नहीं लगवाया गया, क्यों नहीं उसके बयान लिए गए और उनको क्यों नहीं लिखवाया गया ? इन सब बातों पर सोचने की जरूरत है। हमारे सदन के नेता ने हमारा उल्लू बनाया है, स्टेटमेंट देने का वायदा करके स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के पुलिस अफ़सर जो पृथ्वीराज चौहान के समर्थक हैं उनके दिल बढ गए और जैसा मैंने आपको बताया, रामकली नामक सात महीने की गर्भवती महिला का रेप किया गया और जब उसका एबोर्शन हो गया तो उसको हास्पिटल में मरने के लिए छोड दिया गया। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो कुछ नहीं कहा जाता इसके बाद उनके दिल और बढ गया। 5 मई को ठीक एक महीने बाद गाजीपुर पुलिस चौकी पर फ़तेपुर जिले में एक लैण्ड लार्ड जो देशी और विदेशी शराब का धन्धा करता था, मन्नू सिंह जो कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का करीबी है और जिसको श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निर्देश पर राज्य सरकार की तरफ़ से गनमैन दिया गया है उसने अपने मसलमन को लेकर एक गरीब महिला कसिया को जो ताडी उतार कर ताडी बेचा करती थी, उस 24 वर्ष की नवजात महिला को जिन्दा जला दिया।। जिन्दा जलाया ही नहीं, थानेदार की मदद से उसका पंचनामा भी करवा दिया और संस्कार भी कर कर दिया। उसकी कोई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी नहीं करवाई गई। हम साउथ अफ्रीका के विरुद्ध एन्टी अपार्थाइड आन्दोलन चलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। उसके एक दिन पहले फ़तेपुर जिले के हुसैनगंज क्षेत्र में एक हरिजन को नंगा करके उसको कोडों से पीटा गया और दूसरे मुहल्ले में परेड कराई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर फ़तेपुर की घटनाओ के संबंध में हमने जो आवाज उठाई थी उसका इस सरकार ने क्या मैसेज दिया ? मैसेज किसी भी सरकार का सिर्फ एक ही होता है। किसी भी सरकार

को चलाने का जो तरीका होता हैं वह होना है सरकार की दहशत । समाज में जितने भी असामाजिक तत्व हैं पुलिस वाले हैं सरकारी कर्मचारी हैं उनके दिमाग में अपने सरकारी अफसरों और मंत्रियों के प्रति दहशत होनी चाहिये कि कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, कोई गैर जिम्मेदारी का काम किया तो मेरे खिलाफ ऐक्शन हो सकता है । उन्हें पता है कि यह सरकार विद नो ऐक्शन सरकार है यह नपुंसक सरकार है यह सरकार अपने अधिकार जताकर कहीं भी कोई ऐक्शन नहीं ले सकती है । इस सरकार के बारे में जितना भी कहें वह कम है ।

महोदय कुच्ची देवी जो धनराज की बीबी है जो अब विधवा है उसको सलाह देने के लिए लोग जाते हैं और कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती । अपनी जिंदगी क्यों काटो रही । क्यों हल्ला मचा रही हो । क्यों पोलिटीशियन के घर दौड़ती हो, क्यों अपनी आवाज बुलंद कर रही हो । तुम्हारी शादी करवा ते हैं तुम्हें मकान दिलवाते हैं जमीन दलवाते हैं और मौज से वहां रहो । सरकारी अफसर जाकर इस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं । उसने परसों लखनऊ में बयान दिया कि मेरे पति के साथ किये गये दुर्व्यवहार और अत्याचार के खिलाफ मैं लड़ना चाहती हूं क्योंकि आज जो मेरा सवाल है कल वह मेरी और बहनों का सवाल होगा बटियों का सवाल होगा । इस सवाल को खत्म करने की जरूरत है और इसको खत्म करने के लिये जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने अपनाया था जो हमारी नेता स्वर्गीय नेता इंदिरा गांधी ने अपनाया था उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है । आप मकान दिलवाने की बात करते हैं, जमीन दिलवाने की बात करते हैं, मैंने वहां पर प्रश्न किया था कि आप किस के खेतों में नौकरी करते हैं उन्होंने कहा साहब, नौकरी की बात छोड़िये इसकी बात बहुत बाद में आती है । हमारे गांव में कोई शौचालय नहीं है और हमें शौच करने के लिय जिस जमीन पर जाना पड़ता है वह जमीन किसी न किसी जमींदार की है और उस जमींदार की जमीन में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यहार होता है, हमारी इज्जत लटी जाती है हमारी मां बहनों के साथ साथ सौदा किया जाता है । यह हमारी मजबूरी है । इस मजबूरी से हमको मुक्ति दिलाइये । मैं इस सदन में किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं पर मैं कहता हूं कि इनकी जो प्राबलम है, इनकी जो तकलीफ है उनको दूर करने की जरूरत है और अगर दूर करने की बात करें तो इसकी शुरूआत हमें फतेहपुर से ही करनी चाहिये । महोदय, हम इस बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि इनके ग्रिवासेंज सही हैं । इस सरकार ने, जब नई नई सरकार बनी तो रिजर्वेशन की बात हुई । मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में ऐंटी रिजर्वेशन आंदोलन शुरू हो गया और दंगे शुरू हो गये हैं । हम जब भी उनको कुछ देने की बात करते हैं तो इस तरह का दबाव पड़ता है । यह सामंतवादी दबाव है जिसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, जिसके खिलाफ जेहाद करने की जरूरत है । यह जेहाद अन्दर से होना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चाहे वह उस समाज से उठा हुआ आदमी हो, जब वह कहीं मंत्री, एम० पी० और एम० एल० ए० बन जाता है तो वह भी सामंतवाद में शरीक हो जाता है । वह यह भी भूल जाता है कि वह किस गुदड़ी से पैदा हुआ है, वह किस गुदड़ी में पला है और किस झोंपड़ी में रहा है । हो सकता है कि विज्ञान भवन और अन्य भवनों में वह अच्छे भाषण दे दें । आज तक हमने इन मुद्दों के बारे में क्या किया ? यह कोई पहली घटना नहीं है । इसके पहले शिवपुरी में एक नये तरीके से सामंतवादियों ने एक नया फैशन 40 साल के बाद निकाला । वे होली के दिन होली खेलने के दिन हरिजन टोले में चले गये । हरिजनों को इस पर आश्चर्य हुआ कि हमारे पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं तो रंग कहां से खेलेंगे । बाबू लोग कैसे आ गए । तो वह बाबू कहते हैं हम तुम्हारे मर्दों से रंग की होली नहीं खेलने आए हम तो तुम्हें नंगा करके नचवायेंगे, तमाशा देखेंगे, भांग

पियेंगे, शराब पियेंगे, नाचेंगे, और गायेंगे और रंग लगायेंगे और जिसने विरोध किया उसकी टांगे तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, उसका घर जला दिया गया, मार डाला गया, मुझे बतायें इनका कोई मंत्री वहां गया ? मुझे बतायें क्या कोई जांच समिति बैठाई है ? मुझे बतायें किसी ने जा कर वहां फैसला किया हो वहां के सरपंच को सस्पेंड किया हो जो टोले को लेकर गया था। नीयत की बात कर रहे थे। नीयत यहीं पर आती है कि नीयत अगर ठीक हो तो सब कुछ ठीक होता है और अगर नीयत खराब हो जाए कि 40 साल तक कांग्रेस वालों ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे या 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया तो हम भी कर के देखें, अगर यही नीयत है और यही बदले की भावना है तो शायद हम हरिजनों को विचार नहीं दे सकेंगे, हम उन के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। आज शेडयुल्ड कास्ट्स और शेडयुल्ड ट्राइब्स की बात हम करते हैं। कई कानून हैं जो आड़े आते हैं। हमने ऐसा कानून बना दिया कि जंगल में लकड़ी नहीं काटी जाएगी। क्या हमने कभी सोचा कि जिस जंगल में ट्राइब्स उसी लकड़ी पर जिन्दा रहते थे, उसी तन्दू पत्ते पर जिन्दा रहते थे या उसी जंगल की सम्पदा पर जिंदा रहते थे हमने उसको नेशनल प्रापर्टी बना कर छोड़ दिया अब वह रोटी कमायें तो कहां से कमायें ? उसके पहाड़ में जंगल तो जरूर हैं पर धान पैदा नहीं होता क्योंकि धान उपजाने के लिए उसको झुम कल्टीवेशन करना पड़ता और झुम कल्टीवेशन करने के लिए उसको जंगल काटने पड़ते हैं। अगर वह जंगल नहीं काटता तो यों बैठा रहता है। महोदय, यह बातें सोचने की हैं। सब से बड़ी सोच तो यह कि यह जो नपुंसक सरकार है, बहरी सरकार है, इस पर सब से ज्यादा हावी मगर कोई चीज हुई है वह हिन्दू धर्म है और वह हिन्दू धर्म इनके सिर पर चढ़ कर बैठा गया है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब बाबा साहब अम्बेदकर के ऊपर बोल रहे थे तो यह बोलना भूल गए कि बाबा साहब अम्बेदकर पर इतने अत्याचार हुए, उनके साथ रहने वाले लोगों पर इतने अत्याचार हुए कि उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्यों धर्म परिवर्तन हुआ ? इसका मूल कारण यह था कि जब इस मूल्क में किसी धर्म का डंका बजने लगता है तो इस देश को गर्त में जाना पड़ता है चाहे वह मुगल सामराज्य रहा हो, चाहे कोई दूसरी व्यवस्था रही हो, महोदय मजबूर होना पड़ता है मैं जब छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता का मतलब यह था कि मेरी मां घर में बीमार है, मैं शक्ति की आराधना करना चाहता हूं, देवी मां कृपा करो मेरी मां ठीक हो जाए तो मैं मंदिर में नहीं जा सकता। यह मेरी अभिलाशा रह जाती है मैं मंदिर में नहीं जा सकता। मैं अगर छात्र हूं, स्कूल में पढ़ता हूं मैं भी सरस्वती की आराधना कर के जाना चाहता हूं इम्तहान देने के लिए तो मैं मां सरस्वती के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मेरा पिता बीमार हो या मेरे पिता की नौकरी चाहिये तो मैं किसी देवी के चरणों को स्पर्श कर के उसकी चरण धूल ला कर अपने पिता के मस्तक पर लगाना चाहता हूं तो मंदिर में घुसने दिया जाता था। यह कारण था जिसके कारण धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज घुम फिर कर वही दिन फिर आ रहे हैं और काले बादल मंडरा रहे हैं जो आज से 40 साल पहले इस मूल्क में थे, आज वही काले बादल अपने चक्रवात से भारत की धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं और उसकी शुरुआत इन छोटे छोटे गांवों से हो रही है और उसी की शुरुआत फतेपुर से हुई है। महोदय, इन चीजों पर विचार करने के लिए हम आज इक्टठे हुए हैं, इन चीजों पर विचार करने के लिए बैठे हैं और कालिंग अटेंशन लाये हैं। आज अगर इन चीजों पर हम फैसले पर नहीं आयेंगे, अगर सिर्फ लड़ते ही रहे, झगड़ा होता रहे तो इसका कहीं अंत नहीं होगा। महोदय, गांधी जी . .

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Please conclude now.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): There is still time for the Congrtss Party.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): There is time but there are several names.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Let him speak.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): We will withdraw some other speakers.

**श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया :** यह इस मुल्क के 22 करोड़ हरिजनों की आवाज है। यह उनकी आवाज कहती है कि हम कहां हैं और कौन सी सरकार है जो हमें बचाने के लिए कम से कम आगे आयेगी। वैसे तो ऐसी घटनाओं को अखबारों में छापा जाता है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं, करीब साढ़े तीन लाख गांव हमारे मुल्क में ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है, वहां की खबर तो अखबारों में छपती नहीं है। वहां रोज ही कई धनराज मारे जाते हैं, कई कुन्ची देवियां और रामकली मौर्याएं लुट रही हैं, जिनकी जिंदगी लुट रही है, जिनकी इज्जत और अस्मत लूटी जा रही है। पर उनको न्याय दिलवाने में जिस अंकुश की जरूरत है वह अंकुश शायद इस महावत के पास नहीं है, क्योंकि यह महावत ऐसा है कि इसके हाथी की टांग किसी और की है, सूड़ किसी और की है, क्योंकि इस हाथी को आधा बांट डाला है और हरिजनों पर अत्याचार होने, का मूल कारण है, जब जब ब्राह्मण राज आया, जब जब क्षत्रिय राज आया तब तब बैकवर्ड कम्युनिटी पर, शेड्यूल्ड कास्ट्स पर शेड्यूल्ड ट्राइब पर, माइनारिटीज पर अत्याचार बढ़े हैं। आज फिर हम उसी रास्ते की तरफ़ अग्रसरित हो रहे हैं। हम नहीं बोल सकते। राम विलास पासवान जी हमारे मंत्री महोदय हैं। जिस पार्टी के समर्थन से वे मंत्री हैं वे रोज जो उनके खिलाफ़ बोलते हैं, वे नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस दिन वे बोलेंगे वे मंत्री नहीं रहेंगे, सरकार नहीं रहेगी, कैबिनेट नहीं रहेगी... (**समय की घंटी**) खैर, किसके समर्थन से कौन आता है वह तो ये फ़ैसला करें... **(व्यवधान)**

**श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह :** स्पष्ट कर दे रहे हैं कि इन विचारों पर सरकार चल रही है। यह स्पष्ट कर रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया :** शार्ट ड्यूरेशन के माध्यम से अपनी मांगों के साथ साथ मेरे कुछ सुझाव भी हैं। मैं चाहूंगा कि हर गांव में कम से कम हरिजनों के लिए शुलभ शौचालय बनाये जाएं और गवर्नमेंट उस जमीन को खरीदकर शुलभ शौचालय बनाये ताकि कम से कम हरिजनों की मां बहिनों और बहू बेटियों को जमींदारों की जमीन पर शौच करने न जाना पड़े। हर एक ग्राम पंचायत में मुखिया तो खैर हरिजन होना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे जितनी भी संख्या इनकी हो, कम से कम थाना चौकी, पुलिस चौकी जो है उसके थानेदार या जमादार हरिजन जरूर होने चाहिएं।

महोदय, इंदिराजी ने जो जमीन के पट्टे बांटे थे, आज तक उन पट्टों का पजेशन इनको जमींदारों ने नहीं लेने दिया और इसमें अड़गे लगाये हैं। उन जमीनों के पट्टे का पजेशन उन्हें दिलवाया जाये और उनके केस हरिजन न लड़ें, हरिजनों को कचहरी न जाना पड़े, सरकार इनके लिए वकील दे, पैसे खर्च करे, अगर लैंडलार्ड के खिलाफ़ कोई केस लड़ना है तो वह सरकार लड़े क्योंकि सरकार सीलिंग के अंदर वह जमीन एक्वायर करके इनको पट्टे देती थी। वह लड़ाई सरकार की होनी चाहिए। उन्हें क्लियर पोजेशन मिलना चाहिए।

महोदय, उनके साथ-साथ इन हरिजनों के लिए, चाहे किसी मजहब के हों, हरिजन पंजाब में भी हैं, हरिजन साऊथ इंडिया में भी हैं, जिस मजहब के भी हों, यदि उनको सार्वजनिक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया जाता है तो उनके लिए मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे सरकार की तरफ़ से बना कर दिये जाने चाहिए।

**एक माननीय सदस्य :** नहीं, इन्हें उन्हीं में एलौ करना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :** जब तक इन सामन्तवादियों के खिलाफ

यह नपुंसक सरकार नहीं लड़ सकती, तो उनको उससे वंचित मत रखिये। उनको वह अधिकार दिलाना है और वह अधिकार दिलाने के लिए टेम्परेरी कोई प्रोग्राम जरूरी है या नहीं?

आप उनको अधिकार वापिस दिलवायें कि वह घूम सकें और उसके साथ उनके अस्पताल, उनके एजुकेशन सेंटर आज बहुत सारे स्कूल है, लेकिन वहां पर हरिजन की एडमिशन नहीं होती। महाभारत देख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ही काट लिया कि साहब अर्जुन जैसा वह धुनर्धर न हो जाए और अगर यही रवैया चलता रहा, उस महाभारत के जमाने से आज तक एक ही बात चलती रही, तो हम कैसे अधिकार दिलायेंगे और हमें उसे सूत पुत्र कह कर समाज से बहिष्कृत करते रहे, तो हम उनको कैसे न्याय दिलायेंगे?

तो मैं आपके माध्यम से और इनके लिए, जो केसेज इनके विचाराधीन रहते हैं, जैसे यह फतेहपुर का किस्सा है, जो घटनायें घटती हैं, कि पर भी एट्रासिटीज की, उसका विटनेस जो है, जिस दिन घटना घटती है, उसी दिन उसका एविडेंस ले लेना चाहिए और रेकार्डेड हो जाना चाहिए। 1 4 सी आर० पी० सी० के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो ऐविडेंस हो जाए, उसी को पक्का एविडेंस माना जाए, क्योंकि उसके बाद उस पर जमींदारों का और सामंतवादियों के दबाव पड़ने लगते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वह बेचारा टूट जाता है, गवाह टूट जाता है और सजा नहीं मिलती।

यह घटना इसलिए है कि जो राज सिंह और गुलाब सिंह, इन्होंने कचहरी में जाकर सरेंडर किया, तो इनको पूरा विश्वास था कि वह छोड़ दिए जायेंगे। अगर पुलिस में हिम्मत होती, पुलिस पकड़ कर ले जाती, इनकी पिटाई करती, इनकी टांग, हाथ तोड़ दे तो—इनके दिमाग में दहशत रहती कि हरिजन जिंदा जलाने में पहले तो टांग-हाथ टूटता है और उसके बाद जेल जाना पड़ता है। . . . (व्यवधान)

**श्री शब्बीर अहमद सलारिया** (जम्मू और काश्मीर) : यह अधिकार नहीं दे सकते कि लोगों की टांग और हाथ तोड़ें।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :** इनके टांग और हाथ तोड़ने की जरूरत है। अगर आप यह विचार दे रहे हैं कि बंधुआ मजदूर का हाथ काट ले अगर यह काम नहीं करे, तो आप यह अधिकार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेते . . . (व्यवधान)

मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस के प्रति और कानून के प्रति समाज के असामाजिक तत्वों में एक दहशत होनी चाहिए और उस दहशत की कमी है, क्योंकि यह सरकार नपुंसक है और इस सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने कानून को स्टैब्लिश कर सके, नहीं तो शायद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऐसे संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनायें, चार घटनायें एक महीने के अंदर न घटती।

महोदय, मैं अपने सुझावों के साथ आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करूंगा कि इस पर गौर करें और हमें विचार दिलवायें और जो सही बयान है, वह बयान सामने रखें।

धन्यवाद।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, on a point of clarification. We are not discussing the welfare of Harijans, wut we are discussing the atrocities on the Harijans. The subject is dealt with in the States by the Home Ministry. The cases are dealt with by the police and the Home Ministry. But here the welfare Minister is sitting and he is going to answer. But he does not get the information on the atrocities on the Harijans from the States and he does not know what is happening. The Minister of Welfare is not dealing with the atrocities on the Harijans. It is only the Home Minister who is dealing with that subject. I think Mr. Paswan is not vested with the powers of handling the affairs of the Home Ministry or the police departments of the States. It is only the Home Ministery which is monitoring this and the reports will come only to the Home Ministry and not to the Welfare Ministry. So, the Home Ministry only will be in a position to deal with this subject. I, therefore, hope that the Home Minister will reply to these things.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You have made your point. The Leader of the House is listening and the Cabinet Minister himself is sitting here and I am sure he will do whatever is needed.

---

**MISREPORTING OF THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE BY DOORDARSHAN**

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, on a point of information.

Sir, when Mr. Ahluwalia spoke, he referred to the misquoting of the proceedings of the House by the Doordarshan and he quoted it very well. Sir, it is a very serious matter and it is a matter of privilege of the House. Whatever the Members spoke has been distorted and wrong reporting has been done. The wrong message goes to the people of this country. Right information about the persons who spoke is not being given to the country. Therefore, I want right information to be given.

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Narayanasamy, the point that you have made is serious. I believe a separate notice has been given and it is under the consideration of the Chairman. But I must add here one thing. I am sure the people in the Press, particularly in the Government media, will see to it that the proceedings of the House are faithfully and honestly reported and, if there is any distortion, the Government will take note of it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you, Sir.

---

**SHORT DURATION DISCUSSION**

**Continued Atrocitiees on Peersons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various parts of the country** —*Contd.*

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, I want to clarify one thing. Two matters which have been mentioned by Mr. Ahluwalia are his personal views. One is about separate places of worship for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the other is about punishment to be meted out to those who have committed atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. On both of these matters, whatever views he has expressed are his personal views and not those of the party.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Not that of your party?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: No. They are his personal views and not the views of the party.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now, Shrimati Mira Das.

*SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to speak on the Short Duration Discussion on continued atrocities on persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various parts of the country. The Member who spoke before me has looked at this problem from his own angle. In my opinion this problem of continued atrocities on S.C. and S.T. cannot be solved legally. We will have to look at this problem socially and find solution to it. This problem cannot be solved by only high sounding words and false promises. A very big gap exists between the S.C., and S.T. communities and higher castes, both socially and economically in our society. Unfortunately this is an ever-expanding gap. Therefore, we as Members of Parliament should look at this problem by cutting across our Party line. Not for a moment we should try to politicise this issue. We all should show genuine concern and sincerity while trying to find a solution to the age-old problems of the S.C. and S.T. We should consider

---

*English translation of the original speech in Oriya.